

DFO द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

परियोजना का नाम — भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की "प्रसाद योजना" रकवा 0.192 हे.
 प्रपोजल नं. — FP/MP/ROAD/151099/2022
 आवेदक संस्था का नाम — सहायक यंत्री, म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित शहडोल
 परिक्षेत्र का नाम — अमरकंटक
 स्थल निरीक्षण दिनांक — 26/03/2022

क्र.	विशेष	CF/DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट																																				
1.	सीमा हेक्टेयर	0.192 हे.																																				
2.	वन क्षेत्र अंतर्गत (अक्षांश देशांश)	पथ निर्माण की जी.पी.एस. रीडिंग— Start point – N22°40'39.77" E81°45'10.80" End point – N22°40'31.04" E81°45'18.29" सामुदायिक भवन क्र.1 जी.पी.एस. रीडिंग— N22°42'4.14" E81°42'38.04" N22°42'4.51" E81°42'38.95" N22°42'5.16" E81°42'38.68" N22°42'4.83" E81°42'37.81" सामुदायिक भवन क्र.2 जी.पी.एस. रीडिंग— N22°42'4.56" E81°42'39.12" N22°42'4.82" E81°42'39.74" N22°42'5.24" E81°42'39.60" N22°42'4.99" E81°42'38.96"																																				
3.	वन भूमि (संरक्षित वन /आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	<table><tr><th colspan="6">संरक्षित एवं आरक्षित</th></tr><tr><th>क्र</th><th>परिक्षेत्र</th><th>प्रस्तावित कार्य</th><th>वनखण्ड</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>लम्बाई (मी.में) X चौड़ाई</th></tr><tr><td>1</td><td>अमरकंटक</td><td>पथ निर्माण (पुष्कर सरोवर की ओर)</td><td>संरक्षित वन खण्ड अमरकंटक—288.</td><td>PF-234</td><td>340x3.00</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>सामुदायिक भवन क्र.1</td><td>आरक्षित वन खण्ड</td><td>RF-228</td><td>28x23</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>सामुदायिक भवन क्र.2</td><td>जोहिला जालेश्वर—5</td><td>RF-228</td><td>20x13</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Total</td><td>0.192Ha</td></tr></table>	संरक्षित एवं आरक्षित						क्र	परिक्षेत्र	प्रस्तावित कार्य	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी.में) X चौड़ाई	1	अमरकंटक	पथ निर्माण (पुष्कर सरोवर की ओर)	संरक्षित वन खण्ड अमरकंटक—288.	PF-234	340x3.00	2		सामुदायिक भवन क्र.1	आरक्षित वन खण्ड	RF-228	28x23	3		सामुदायिक भवन क्र.2	जोहिला जालेश्वर—5	RF-228	20x13					Total	0.192Ha
संरक्षित एवं आरक्षित																																						
क्र	परिक्षेत्र	प्रस्तावित कार्य	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी.में) X चौड़ाई																																	
1	अमरकंटक	पथ निर्माण (पुष्कर सरोवर की ओर)	संरक्षित वन खण्ड अमरकंटक—288.	PF-234	340x3.00																																	
2		सामुदायिक भवन क्र.1	आरक्षित वन खण्ड	RF-228	28x23																																	
3		सामुदायिक भवन क्र.2	जोहिला जालेश्वर—5	RF-228	20x13																																	
				Total	0.192Ha																																	
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	सहायक यंत्री, म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित शहडोल के प्रतिनिधि के साथ क्षेत्र का संयुक्त सीमांकन किया गया।																																				
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक																																				
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।																																				

7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	साल वन है, साइट की गुणवत्ता श्रेणी IV-A, IV-B एवं घनत्व 0.7 है।
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी बंदर, सियार पाये जाते हैं।
9.	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	बायोडायवर्सिटी कार्यवृत्त प्रस्तावित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टिकोण से नर्मदा उद्गम क्षेत्र है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता	इस भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	सहायक यंत्री, म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित शहडोल द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण राशि भुगतान करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र सीमा से 10 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृत से इलाके के लोगों को रोजगार की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20.	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वन भूमि की उपयोगिता बावत् प्रमाण पत्र दिया गया है।

22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गंजाइश।	प्रस्तावित कार्य से वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.234 एवं आर.एफ. 228 में रकवा 0.192 हे. में प्रस्तावित कार्य पथ निर्माण एवं 2 नग सामुदायिक भवन निर्माण कार्य करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक - 13/04/2022

स्थान - अनूपपुर।


 (डॉ ए.ए.अंसारी)
Divisional Forest Officer
 Division Amarpur (M.P.)
 वन मण्डल अनूपपुर (म०प्र०)